विवरण

31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य बिजली बोर्डों का वित्तीय निष्पादन (अनंतिम)

क्र० सं०	रा०वि०बो० का नाम	आपूर्ति की औसतन लागत	औसत वसूली (पैसा/ कि०वा० आ०)
1.	आन्ध्र प्रदेश .	105.56	97.33
2.	बिहार .	188.04	122.22
3.	गुजरात .	160.36	119.01
4.	हरियाणा .	139.62	82.05
5.	हिमाचल प्रदेश .	109.99	108.29
6.	कर्नाटक .	98.77	97.96
7.	केरल .	83.00	81.22
8.	मध्य प्रदेश .	157.99	132.10
9.	महाराष्ट्र .	148.06	141.84
10.	उड़ीसा .	104.99	103.26
11.	पंजाब .	126.91	78.83
12.	राजस्थान .	141.60	113.25
13.	तमिलनाडु .	133.27	108.26
14.	उत्तर प्रदेश .	155.47	113.14
15.	प० बंगाल .	163.97	119.88
16.	असम .	255.95	120.29
17.	मेघालय .	119.49	89.50
	जोड़ .	139.02	112.28

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का तीन भागों में बांटा जाना

4520. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बालकृष्ण समिति ने गत वर्ष दिल्ली के आम विद्युत् उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के स्थान पर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक शक्ति संपन्न स्वशासी बोर्ड गठित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों की अपेक्षा करके दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को तीन भागों (डिवीजनों) में बांटने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार के विचाराधीन दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में अंतिम रूप से बदलाव लाने सम्बन्धी प्रस्तावित रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्तावित रूपरेखा में दिल्ली के आम मतदाता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो किस रूप में और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) बालाकृष्णन् समिति ने अपनी दिसम्बर, 1989 की रिपोर्ट में डेसू के स्थान पर केन्द्रीय सरकार के सांविधिक नियंत्रण में विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन एक बिजली बोर्ड गठित किए जाने की सिफारिश की थी।

(ख) से (ङ) डेसू के बढ़ते हुए वित्तीय घाटों और पारेषण तथा वितरण प्रणाली में वृद्धि करने/ उसका आधुनिकीकरण करने के लिए आन्तरिक संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए और सरकार द्वारा बाद में गठित कार्यकारी बल की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। शेष कार्यों तथा उत्पादन और वितरण के मामले में डेसू अपनी विद्युत् सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए काफी सीमा तक केन्द्रीय विद्युत् संगठनों पर निर्भर है। सरकार दिल्ली में विद्युत् आपूर्ति प्रणाली को, इसके बेहतर और कुशल प्रबन्ध के लिए सुव्यवस्थित करने के वास्ते विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। तथापि, डेसू को तीन खण्डों में विभाजित करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली की वर्तमान विद्युत् आपूर्ति प्रणाली की पुनःसंरचना के सम्बन्ध में कोई भी स्कीम बनाते समय दिल्ली की सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

Hydro Power Potential in the Northern Region

4521. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what is the likely peaking shortage of Power in U.P. by the year 1996-97;

(b) what is the Hydro-power potential that exists in the Northern region;

(c) how much percentage of this potential has been harnessed so far;

(d) whether it is a fact that there was a continuous decline of hydel-thennal mix in the country;

(e) if so, what is the current ratio of this mix; and

(f) what are the details of steps Government have taken to solve the problems of peaking shortage in U.P. and the decline in hydel-thermal mix ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Based on the power demand projections as per 14th Electric Power Survey, the peaking shortage of power in Uttar Pradesh by the year 1996-97 is anticipated as 2471 MW (29.9%).

(b) and (c) The hydro power potential of the Northern Region has been estimated as 30155 MW at 60% load factor. The schemes in operation in Northern Region utilise 13.65% of the potential. The sanctioned and on-going schemes would further utilise a potential of 7.15%.

(d) and (e) From 1962-63, there has been a continuous decline in the hydro-thermal mix and the present ratio is approximately 26.6 : 73.4.

(f) The steps taken to solve the problem of peaking shortage in Uttar Pradesh include maximization of generation from existing units, implementation of R&M programme, effective load management and energy conservation measures; assistance from neighbouring States and the system. To reverse the declining trend of hydro development, Ministry of Power and Central Electricity Authority closely monitor the progress of various activities of projects under execution. Projects involving minimal impact on environment and forest are being identified. Detailed plans for catchment area treatment, compensatory afforestation and rehabilitation are being formulated to enable speedy clearance from environmental and forest angle. To bring^additionality of resources, greater private participation is being encouraged to enable higher development of hydel potential in the country.

केन्द्रीय विद्युत् एककों से राज्यों को विद्युत्

4522. **श्री अजीत जोगी :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्यों को उनकी आवश्यकता और जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय विद्युत् एककों से विद्युत् उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) राज्य की लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैय्या नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत् परियोजना स्थापित करने के लिए चार और निजी क्षेत्र में ताप विद्युत् परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दो प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति से लिए प्राप्त हुए हैं, जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (सीधे देखिए) कियान्वयन एजेंसियों द्वारा सभी आवश्यक स्वीकृतियां/निवेश सुनिश्चित किए जाने के बाद ही, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लंबित पड़ी परियोजनाओं पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता था ।

विवरण

सी०ई०ए० की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए प्राप्त मध्य प्रदेश की नई ताप विद्युत परियोजना

क्रम सं० परियोजना का नाम/क्षमता (मे० वा०)	प्राप्त करने की तारीख	अनुमानित लागत करोड़ रुपए	क्रियान्वयन एजेंसी	वर्तमान स्थिति
(क) सार्वजनिक क्षेत्र				
1. रायगढ़ ता०वि०के० . . . —जिला रायगढ़ —2X 500	26-3-1992	2181.61	एमपीईबी	के० वि० प्रा० में जांचाधीन